दैनिक भारत कि
तामीर
संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com
Editor in chief- Qazi makhdoom shafiuddin

बंजारा-वंजारी आरक्षण पर हरिभाऊ राठोड़ का बयान, हम एक नहीं।

मुंबई एजेंसी

बंजारा नेता व पूर्व सांसद हरिभाऊ राठोड़ ने कहा कि बंजारा और वंजारी एक नहीं हैं। गोपीनाथ मुंडे के खासगी सचिव रहते हुए भी मैंने यही भूमिका निभाई थी। हम आपस में भाई-भाई हैं, सामाजिक दृष्टि से कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आरक्षण के मामले में आपको अलग आरक्षण मिलना ही चाहिए।

राठोड़ ने दोहराया कि बंजारा समाज को स्वतंत्र आरक्षण की आवश्यकता है ताकि उनके समाज के पिछड़े वर्ग को वास्तविक लाभ मिल सके।

याद रहे के आज बीड मे विधायक धनंजय मुंडे ने इन दोनों समाज के मिलाप कि बात कि थी जिस पर जोरदार विरोध सामने आया है।

बीड (महाराष्ट्र) वर्ष-२ ला अंक-२० वा मंगळवार १६ सितम्बर २०२५ RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 किमत : २ रूपये पन्ने - ४

सुप्रीम कोर्ट का सकारात्मक कदम: वक्फ संशोधन अधिनियम की विवादास्पद धाराओं पर अंतरिम रोक,

अल्पसंख्यक अधिकारों की मजबूत रक्षा

नई दिल्ली, १५ सितंबर २०२५ (संवाददाता: तामीर न्यूज

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, २०२५ की वैधता पर महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया, जो अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक और संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक सकारात्मक कदम साबित हो रहा है। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी विधायी प्रावधान की संवैधानिकता का अनुमान हमेशा उसके पक्ष में होता है। फिर भी, अदालत ने कुछ विवादास्पद धाराओं को तत्काल प्रभावी होने से रोक दिया, जो मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वायत्तता को मजबूत करने वाला फैसला माना जा रहा है। यह निर्णय वक्फ संपत्तियों (कुल ९.४ लाख एकड़, मूल्य लगभग १.२ लाख करोड़ रुपये) के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य को बनाए रखते हुए, समुदाय की चिंताओं का समाधान करता है।

फैसले की प्रमुख सकारात्मक विशेषताएं

पीठ ने कानून के अमल को दुर्लभतम मामलों तक सीमित रखते हुए निम्नलिखित प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाई, जो समुदाय के लिए राहत प्रदान करती हैं:

वक्फ बनाने की ५ वर्ष की इस्लाम पालन शर्त (धारा ३(१)(ी)): अधिनियम के तहत वक्फ संपत्ति समर्पित करने वाले व्यक्ति को कम से कम ५ वर्षों से इस्लाम का पालन करने का प्रमाण देना पड़ता था। कोर्ट ने इसे मनमाने दुरुपयोग का खतरा बताते हुए रोक लगा दी, जब तक राज्य सरकारें इस्लाम अनुयायी होने की जांच के लिए स्पष्ट नियम नहीं बना लेतीं। पीठ ने चिंता जताई कि बिना उचित तंत्र के यह धार्मिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद २५) का उल्लंघन कर सकता है। यह कदम वक्फ दानकर्ताओं के अधिकारों को सुरक्षित करता है

सरकारी अधिकारी को विवाद निपटाने का अधिकार (धारा ३उ और ३(७४)): अधिनियम में जिला कलेक्टर या नामित अधिकारी को वक्फ संपत्ति पर सरकारी जमीन के अतिक्रमण का निर्धारण करने का अधिकार दिया गया था। कोर्ट ने इसे कार्यपालिका का न्यायिक क्षेत्र में हस्तक्षेप बताते हुए रोका। पीठ ने निर्देश दिया कि ऐसे विवादों का निपटारा केवल वक्फ ट्रिब्यूनल और उसके बाद हाई कोर्ट द्वारा किया जाएगा। विवादित संपत्तियों पर तीसरे पक्ष के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की गई है, और राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव तभी संभव होगा जब ट्रिब्यूनल का अंतिम फैसला आ जाए। इससे वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा मजबूत हुई है।

वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों की संख्या पर सीमा: कोर्ट ने गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति को पूरी तरह रोका नहीं, लेकिन सीमित किया। केंद्रीय वक्फ परिषद में ४ से अधिक और राज्य वक्फ बोर्डों में ३ से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। साथ ही, वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को यथासंभव मुस्लिम ही नियुक्त करने का निर्देश दिया। गैर-मुस्लिम सीईओ की नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि बोर्ड में मुस्लिम बहुमत बरकरार रहे

अदालत ने अन्य प्रावधानों जैसे वक्फ बाय यूजर को हटाने, अनुसूचित क्षेत्रों या संरक्षित स्मारकों पर वक्फ प्रतिबंध, और केवल मुस्लिमों द्वारा वक्फ बनाने की शर्त पर हस्तक्षेप न करने का फैसला किया। पीठ ने कहा कि ये प्रावधान १९२३ के वक्फ अधिनियम से चले आ रहे हैं और प्रथम दृष्टया संवैधानिक लगते हैं। मामले की अगली सुनवाई २०-२२ मई २०२६ को निर्धारित की गई है। यह फैसला वक्फ बोर्डों में संतुलन बनाए रखते हुए, समुदाय की धार्मिक संस्थाओं को मजबूत करता है। पृष्ठभूमि और कानूनी बहस का सकारात्मक पक्ष

वक्फ अधिनियम, १९९५ के संशोधन का प्रस्ताव अगस्त २०२४ में लोकसभा में पेश किया गया था, जो संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की सिफारिशों पर आधारित था। केंद्र सरकार ने दावा किया कि यह कानून वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाएगा और अतिक्रमण रोकेगा। याचिकाकर्ताओं, जिसमें -खचखचच् नेता असदुद्दीन ओवैसी, विधायक अमानतुल्लाह खान, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB), जमीयत उलेमा-ए-हिंद, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (खणचङ), कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, ठगऊसांसद मनोज झा, ढचउ सांसद महुआ मोइत्रा, उझख(च्) सांसद मोहम्मद सलीम और शिया धर्मगुरु सैयद कल्बे जवाद नकवी शामिल हैं, ने इसे असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि यह अनुच्छेद १४ (समानता), २५ (धार्मिक स्वतंत्रता), २६ (धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन) और ३००- (संपत्ति अधिकार) का उल्लंघन करता है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखा कि संशोधन दुरुपयोग रोकने के लिए हैं। लेकिन वकील कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि राज्य सरकारों की लापरवाही के कारण रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। कोर्ट ने मई २०२५ में ५ याचिकाओं को क्लब किया और केंद्र से जवाब मांगा। यह प्रक्रिया संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का उदाहरण है

समुदाय नेताओं के सकारात्मक बयान: राहत और न्याय की उम्मीद

फैसले पर मुस्लिम समुदाय के प्रमुख नेताओं ने आंशिक राहत जताई, लेकिन इसे संवैधानिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। -खचझडड के सदस्य सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा, कोर्ट ने बोर्ड की बहुसंख्यक मुस्लिम संरचना सुनिश्चित की, जो हमारी मुख्य मांग थी। यह हमारी दलीलों को स्वीकार करने जैसा है। वक्फ अल्लाह की संपत्ति है, इसमें हस्तक्षेप अस्वीकार्य है।

कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की साजिश पर रोक लगा दी। यह उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जिन्हें अपनी जमीनें छिनने का डर था। कोर्ट ने संसद में उठाए हमारे मुद्दों को मान्यता दी।

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा, यह अंतरिम राहत स्वागतयोग्य है। सरकार का बहुसंख्यकवादी रवैया वक्फ को नुकसान पहुंचा रहा था, लेकिन कोर्ट ने संतुलन बनाया। अंतिम फैसले में पूर्ण न्याय की उम्मीद है।

खणचङ नेता और सांसद ई.टी. मुहम्मद बशीर ने इसे मुस्लिम प्रतिनिधित्व सीमित करने वाली धाराओं पर महत्वपूर्ण राहत बताया। यह समुदाय की चिंताओं को मान्यता देता है।

कडा क्षेत्र में बाढ़ से फंसे नागरिक हेलीकॉप्टर से सुरक्षित निकाले गए

विधायक सुरेश धस ने फिर साबित किया 'आपदा प्रबंधन गुरु' होने का दम

बीड़, प्रतिनिधि -

जिले के आष्टी तालुका के कडा क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति गंभीर होने पर हेलीकॉप्टर की मदद से फंसे नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। प्रशासन की इस सफल कार्रवाई के साथ ही स्थानीय विधायक सुरेश धस की भूमिका भी अहम रही।

आपदा की घड़ी में तत्परता दिखाते हुए धस ने बचाव कार्यों की रूपरेखा में सक्रिय भागीदारी की। नागरिकों के समय पर बचाव से उन्होंने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वे आपदा प्रबंधन में निपुण हैं और जनता की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हैं।

नगर-बीड-परळी वैजनाथ रेलवे लाइन परियोजना के लिए १५० करोड़ रुपये का फंड आवंटित

मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस का तोहफा

जमीर काजी

मुंबई:

बीड जिले के विकास में गेम-चेंजर साबित होने वाली 'अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ' नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन परियोजना को गति देने के लिए राज्य सरकार ने सोमवार को १५० करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया है। इस फंड के आवंटन से रेलवे परियोजना के कार्य में और तेजी आएगी, और बीडवासियों को उपमुख्यमंत्री तथा जिले के पालकमंत्री अजित पवार ने मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस के अवसर पर एक अनूठा तोहफा दिया है।

मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस के शुभ अवसर पर, यानी १७ सितंबर को 'बीड-अहमदनगर' खंड पर रेल सेवा का शुभारंभ किया जाएगा। इस ऐतिहासिक घटना से बीड जिले के लाखों नागरिकों का सपना साकार होगा।

'अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ' परियोजना के लिए राज्य सरकार की कुल वित्तीय हिस्सेदारी ५० प्रतिशत है, और अब तक सरकार ने २,०९१ करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। इसमें अब १५० करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जोड़ी गई है। इस फंड का उपयोग २०२५-२६ के वित्तीय वर्ष में रेलवे विभाग को राज्य सरकार का हिस्सा प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

'अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ' रेलवे लाइन लगभग २६१ किलोमीटर लंबी है, और इसकी कुल लागत ४,८०५ करोड़ रुपये है। इसमें से ५० प्रतिशत, यानी २,४०२ करोड़ रुपये, राज्य सरकार का हिस्सा है। अब तक सरकार ने २,०९१ करोड़ २३ लाख रुपये उपलब्ध कराए हैं। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस से दो दिन पहले आवंटित इस फंड से परियोजना के विकास को गति मिलेगी। इस फंड का उपयोग २०२५-२६ के वित्तीय वर्ष में रेलवे विभाग को राज्य सरकार का हिस्सा देने के लिए किया जाएगा।

बीड जिले के पालकमंत्री का पद संभालने के बाद से अजित पवार ने जिले की बुनियादी सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। हवाई अड्डे, रेलवे, और सड़क विकास को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने विभागीय, जिला-स्तरीय, और मंत्रालय स्तर पर विभिन्न बैठकें आयोजित कर संबंधित विभागों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित किया है।

अतिवृष्टि से बीड़ जिला प्रभावित; नुकसान का तुरंत पंचनामा कर सरसरी मुआवजा दें-सांसद बजरंग सोनवणे

बीड प्रतिनिधि :

१४ और १५ सितंबर की रात लगातार हुई भारी बारिश ने बीड़ जिलेवासियों को बुरी तरह प्रभावित किया है। जिले की सभी नदियां उफान पर हैं, जिसके कारण किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसान झेलना पड़ा है। कई इलाकों में फसलें पानी में डूब गई हैं, तो कुछ जगह नदी किनारे की ज़मीनें भी बह गई हैं। साथ ही कई घर ढह गए हैं। इस पर

सांसद बजरंग सोनवणे ने संपर्क मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार को पत्र लिखकर मांग की है कि तुरंत पंचनामा कर सरसरी मुआवजा दिया जाए।

संपर्क मंत्री पवार को दिए गए पत्र में सोनवणे ने लिखा है कि बीड़ जिले में लगातार बारिश से कई जगह बाढ़ जैसी स्थिति बनी। सुबह ७ बजे से स्वयं वे हालात पर नजर रखे हुए हैं। आष्टी तालुका के कडा गांव में ११, चोभा निमगांव में १४, घाटा पिंपरी में ७, पिंपरखेड में ६, धानोरा में ३ और डोंगरगण में ३-कुल ४४ नागरिक पानी में फंसे हुए थे।

इसके अलावा बीड़ तालुका के नाळवंडी, नेकनूर, येळंबघाट, आष्टी तालुका के दौलावडगाव, धानोरा, कडा, पिंपळा, टाकळसिंग, दादेगाव, अंबाजोगाई तालुका के लोखंडी, पाटोदा, केज तालुका के केज, यूसुफ, होळ, और शिरूर तालुका के शिरूर महसूल मंडल में अतिवृष्टि की नोंद हुई है। खासकर आष्टी तालुका के कडा और आसपास बादल फटने जैसी स्थिति बनी और नदी में अप्रत्याशित रूप से बड़ा बाढ़ आया।

इससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। कई इलाकों में नदियों का पानी खेतों में घुस गया और ज़मीन बह गई, जिससे फसलों और खेती को बड़ा नुकसान हुआ। साथ ही कुछ हिस्सों में घर ढह गए और आष्टी तालुका में बाढ़ का पानी घरों में घुसने से घरेलू सामान भी नष्ट हो गया।

ऐसे में सरकार को तुरंत मौके पर जाकर पंचनामा करना चाहिए और सभी प्रभावितों को सरसरी मुआवजा देना चाहिए, ऐसा सोनवणे ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है।

बीड मे नदी किनारे रहने वालो को चेतावनी।

बीड संवाददाता

बीड शहर मे दो दिनों से भारी बारिश के सबब नदियों का स्तर बढ़ गया है जिस बाढ़ कि आशांका है जिससे बिंदुसरा नदी के करीब रहने वाले सभी नागरिकों को प्रशासन ने सतर्क रहने और सुरक्षित ठिकानों पर चले जाने का अनुरोध किया है

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

बंजारा समाज का बीड़ में शक्ति प्रदर्शन, एसटी प्रवर्ग से आरक्षण की जोरदार मांग

बीड प्रतिनिधि :

राज्य सरकार ने हैदराबाद गजेटियर का हवाला देते हुए मराठा समाज को कुणबी प्रमाणपत्र देकर ओबीसी प्रवर्ग से आरक्षण का लाभ देने का निर्णय लिया है। इसी तर्ज पर अब बंजारा समाज ने भी हैदराबाद गजेटियर में दर्ज नोंदी का हवाला देते हुए एसटी प्रवर्ग से आरक्षण की मांग तेज कर दी है। राज्यभर से बंजारा समाज एकजुट होकर आंदोलन कर रहा है। इसी क्रम में आज बीड़ में बंजारा समाज ने भारी ताकत के साथ जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर विशाल मोर्चा निकाला। जालना में भी इसी मांग को लेकर आज बंजारा समाज ने मोर्चा काढा।

मराठा समाज को ओबीसी आरक्षण दिलाने के मुद्दे पर जो नेता आपस में आमने-सामने थे, वही अब बंजारा समाज के आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। हालांकि राजनीतिक नेताओं ने इस आंदोलन से दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन बंजारा समाज के हजारों लोग मोर्चे में शामिल हुए।

बीड जिला मराठा आरक्षण आंदोलन का केंद्र रहा है, जहां उपोषणकर्ता मनोज जरांगे पाटील को सबसे ज्यादा समर्थन मिला। इसी बीड़ जिले में अब बंजारा समाज भी एसटी प्रवर्ग से आरक्षण की मांग को लेकर एकजुट होकर सामने आया है।

बीड़ लोकसभा के सांसद बजरंग सोनवणे ने बंजारा समाज की मांग का खुलकर समर्थन किया। मंत्री धनंजय मुंडे को भी बंजारा समाज के साथ सड़कों पर उतरते देखा गया। सुरेश धस, विजयसिंह पंडित सहित जिले के सभी ६ विधायकों ने बंजारों की मांग का समर्थन किया है।

बीड जिले में बंजारा समाज की आबादी ढाई लाख के करीब है, जिनमें से लगभग १ लाख ९० हजार मतदाता हैं। इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए कोई भी राजनीतिक दल इस समाज की अनदेखी नहीं कर सकता। गेवराई विधानसभा क्षेत्र में अकेले बंजारा समाज के ६३ हजार मतदाता हैं, जिसके चलते स्थानीय विधायक विजयसिंह पंडित ने भी मोर्चे को खुला समर्थन दिया। जिले में १,२८६ लमाण तांडे समाज की संगठित ताकत को दर्शाते हैं। यही कारण है कि पंचायत समिति से लेकर जिला परिषद चुनावों में बंजारा समाज का प्रभाव निर्णायक साबित होता है।

मजलगांव और परली विधानसभा क्षेत्रों में बंजारा समाज की आबादी ७० हजार है, जिनमें से ५० हजार मतदाता हैं। इसलिए भाजपा नेता पंकजा मुंडे भी इस मोर्चे में शामिल हुईं। बीड़ विधानसभा क्षेत्र में ३० हजार और आष्टी क्षेत्र में २० हजार की जनसंख्या होने से राजनीतिक दलों के लिए इस समाज को नाराज करना भारी पड़ सकता है। यही वजह है कि मोर्चे में कई नेताओं ने उपस्थिति दर्ज कराई।

आगामी स्थानीय स्वराज्य चुनावों की पृष्ठभूमि में बंजारा समाज का यह मोर्चा राजनीतिक दलों के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। बंजारा समाज का समर्थन मिलने पर जिला परिषद और पंचायत समिति के कई गटों में जीत सुनिश्चित मानी जाती है। विधायक सुरेश धस, विजयसिंह पंडित, प्रकाश सोलंके और सांसद बजरंग सोनवणे को बंजारा समाज की मांग का समर्थन करने में कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि हैदराबाद गजेटियर में ऐसे दस्तावेज मौजूद हैं।

दूसरी ओर, धनंजय मुंडे के लिए भी इस मोर्चे में शामिल होना सहज था क्योंकि बंजारा समाज ओबीसी का हिस्सा है, लेकिन एसटी आरक्षण की मांग पर उनका समर्थन भविष्य में अस्थिरता भी ला सकता है।

मराठा आरक्षण आंदोलन ने महाराष्ट्र की सत्ता को हिला दिया था। मराठा समाज की बड़ी जनसंख्या और आंदोलन की ताकत के चलते सरकार को निर्णय लेना पड़ा। अब बंजारा समाज के आंदोलन में भी वही तस्वीर दिखाई दे रही है। हैदराबाद गजेटियर का संदर्भ, मराठा आरक्षण की पृष्ठभूमि और बंजारा समाज की संख्या-इन सबका मिला-जुला असर बीड़ में बंजारा समाज के मोर्चे को राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत निर्णायक बना रहा है।

इस बीच, बीड़ और जालना में बंजारा समाज का एल्गार दिखाई दिया। वर्तमान में वी.जे.एन.टी. प्रवर्ग में शामिल बंजारा समाज को एसटी प्रवर्ग से आरक्षण देने की मांग को लेकर यह महामोर्चा निकाला गया।

कल रात हुई जबरदस्त बरसात ने बीड जिले को झिंझोड़ कर रख दिया था, तो बीड शहर के बीच से बहेने वाली बिंदुसरा नदी भी गज़ब ढा गई बहुत सालों बाद पानी बड़े पुल को टक्कर दे गया।

अपने क़लम की ताक़त देश और मानवता को बचाने में लगाओ-मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी

चापलूसी दलाली और बिकाव पत्रकारिता देश की दुश्मन है-विश्वास देवकर

हमारी लड़ाई पत्रकारों के हक उनकी सुरक्षा के लिए है-संदीप काले

अमलनेर:

वॉइस ऑफ मीडिया जो पत्रकारों का इंटरनेशनल फोरम है, जिस संगठन ने बहुत ही शॉर्ट टाइम सिर्फ ३ साल के अन्दर देश ही नहीं दुनिया के ५६ मुल्कों में अपना मुक़ाम बनाया और नेटवर्क कायम किया है, ये संगठन पत्रकारों के हक़ और उनकी रक्षा सुरक्षा को लेकर बहुत ही अहम भूमिका निभाती है इसीलिए आज ये देश की नंबर १ पत्रकारों की संगठन और पसंद बन गई है, लाखों पत्रकार संगठन से जुड़ रहे हैं, इस संगठन का २ रोज़ा कैडर कैम्प, ट्रेनिंग कैम्प जलगांव जिले के अमलनेर में मंगलग्रह मन्दिर के शानदार हॉल में हुआ, जिसमें महाराष्ट्र भर से सैकड़ों पत्रकारों ने शिरकत की, इस मौके पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काले ने संगठन का मकसद मिशन विज़न तफ़्सील से बयान किया, संगठन की महासचिव दिव्या भोसले ने अबतक के तमाम कामों और यशस्वी प्रोजेक्ट्स को बयान किया, सीनियर पत्रकार मार्गदर्शक विश्वास देवकर साहेब ने पत्रकारों को उनकी अहम भूमिका देश और मानवता को बचाने के लिए कैसे निभाई जाए इस पर बात की, और भी मान्यवर जिन्होंने दो दिन तक पत्रकारों को बताया कि आप किस तरह लोगों का आशिर्वाद लेने का काम कर सकते हैं और आप देश को कैसे उन्नति की तरफ ले जा सकते हैं और कैसे आप जनता की आवाज़ बन सकते हैं, इस कार्यक्रम के दूसरे आख़िरी दिन के सेशन में मुस्लिम धर्मगुरु और वॉइस ऑफ मीडिया के उर्दू विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी की २० मिनिट्स की तकरीर ने चार चांद लगा दिए, मुफ्ती साहब ने बताया कि आप अपने क़लम, अपनी पत्रकारिता के ज़रिए देश में बढ़ रही नफरतों को खतम करने का काम करें, देश को बचाने आगे बढ़ाने और देश में अमन शान्ति सदभावना एकता एकात्मकता क़ायम करने वाली सकारात्मक पत्रकारिता करें तो रब आपसे खुश होंगा, दलाल, सत्ता की गुलाम पत्रकारिता को जनता कैसा सबक सिखा रही है वो हमारे सामने है, मुफ्ती साहब के बुलन्द नारों से हॉल गूंजने लगा और पत्रकारों को एक नई ताकत नई ऊर्जा मिली।

वॉइस ऑफ मीडिया का ये २ रोज़ा कैडर कैम्प बेहद कामयाब रहा।

अतिवृष्टि से बीड़ जिला प्रभावित; नुकसान का तुरंत पंचनामा कर सरसरी मुआवजा दें-सांसद बजरंग सोनवणे

बीड प्रतिनिधि :

१४ और १५ सितंबर की रात लगातार हुई भारी बारिश ने बीड़ जिलेवासियों को बुरी तरह प्रभावित किया है। जिले की सभी नदियां उफान पर हैं, जिसके कारण किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसान झेलना पड़ा है। कई इलाकों में फसलें पानी में डूब गई हैं, तो कुछ जगह नदी किनारे की ज़मीनें भी बह गई हैं। साथ ही कई घर ढह गए हैं। इस पर सांसद बजरंग सोनवणे ने संपर्क मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार को पत्र लिखकर मांग की है कि तुरंत पंचनामा कर सरसरी मुआवजा दिया जाए।

संपर्क मंत्री पवार को दिए गए पत्र में सोनवणे ने लिखा है कि बीड़ जिले में लगातार बारिश से कई जगह बाढ़ जैसी स्थिति बनी। सुबह ७ बजे से स्वयं वे हालात पर नजर रखे हुए हैं। आष्टी तालुका के कडा गांव में ११, चोभा निमगांव में १४, घाटा पिंपरी में ७, पिंपरखेड में ६, धानोरा में ३ और डोंगरगण में ३-कुल ४४ नागरिक पानी में फंसे हुए थे।

इसके अलावा बीड़ तालुका के नाळवंडी, नेकनूर, येळंबघाट, आष्टी तालुका के दौलावडगाव, धानोरा, कडा, पिंपळा, टाकळसिंग, दादेगाव, अंबाजोगाई तालुका के लोखंडी, पाटोदा, केज तालुका के केज, यूसुफ, होळ, और शिरूर तालुका के शिरूर महसूल मंडल में अतिवृष्टि की नोंद हुई है। खासकर आष्टी तालुका के कडा और आसपास बादल फटने जैसी स्थिति बनी और नदी में अप्रत्याशित रूप से बड़ा बाढ़ आया।

इससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। कई इलाकों में नदियों का पानी खेतों में घुस गया और ज़मीन बह गई, जिससे फसलों और खेती को बड़ा नुकसान हुआ। साथ ही कुछ हिस्सों में घर ढह गए और आष्टी तालुका में बाढ़ का पानी घरों में घुसने से घरेलू सामान भी नष्ट हो गया।ऐसे में सरकार को तुरंत मौके पर जाकर पंचनामा करना चाहिए और सभी प्रभावितों को सरसरी मुआवजा देना चाहिए, ऐसा सोनवणे ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है।

सप्तरंग सामाजिक प्रतिष्ठान का सराहनीय उपक्रम - ३० जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीनें वितरित

बीड: सप्तरंग सामाजिक प्रतिष्ठान, बीड़ की ओर से आज शहर के एस. एम. सिटी लॉन में आयोजित विशेष कार्यक्रम में बीड़ शहर की कुल ३० जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीनें प्रदान की गईं।

इस उपक्रम का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाना और उनके आत्मनिर्भर जीवन में सहयोग देना है।

प्रतिष्ठान ने आश्वासन दिया कि आने वाले समय में भी ऐसे ही सामाजिक उपक्रम हाथ में लेकर समाजसेवा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई जाएगी।

इस अवसर पर संस्थापक अध्यक्ष अरबाज़ पठान ने प्रतिष्ठान के कार्यों का विस्तृत आढावा प्रस्तुत किया। मंच पर शहर के सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के मान्यवरों के साथ-साथ धर्मगुरुओं की भी विशेष उपस्थिति रही।

कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रतिष्ठान के सभी सहयोगी सदस्यों ने परिश्रम किए। वहीं, जिलेभर से मित्र-परिवार और बीड़ शहर के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित होकर इस सामाजिक पहल में सहभागी बने।

मोमिनपुरा नाले में बाढ़, कई घरों में पानी घुसा, जिलाधिकारीने किया नुकसानग्रस्त क्षेत्र का दौरा

पूर्व सभापति खुर्शीद आलम ने की मुआवजे और सुरक्षा दीवार निर्माण की मांग

बीड, १५ सितंबर - कल रात (१४ सितंबर) करीब ३ से साढ़े ३ बजे के दौरान हुई मूसलाधार बारिश के कारण बीड़ शहर और आसपास का इलाका पानी में डूब गया। शहर के सबसे बड़े लेंडी नाले में १९८९ की तरह बाढ़ आ गई। अचानक बढ़े पानी से कई घरों में पानी घुस गया। जिसके चलते घरों का सामान, टीन-छप्पर, मवेशी, गाड़ियां, हाथगाड़ियां बह गईं। कई नागरिकों ने घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई।

इस संकट की घड़ी में पूर्व सभापति खुर्शीद आलम ने अपने साथियों के साथ मिलकर नागरिकों को पानी से निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। स्थानीय नागरिकों ने भी एक-दूसरे की मदद करते हुए बड़ी जनहानि होने से बचाया।

सुबह होते ही खुर्शीद आलम ने जिलाधिकारी विवेक जॉन्सन, बीड़ तहसीलदार चंद्रकांत शेलके, बीड़ की उपविभागीय अधिकारी कविता जाधव, बीड़ के मुख्याधिकारी शैलेश फडसे, नायब तहसीलदार सुहास हजारे से फोन पर संपर्क कर स्थिति की जानकारी दी और तत्काल निरीक्षण करने की मांग की।

इस मौके पर खुर्शीद आलम ने जिलाधिकारी से चर्चा कर प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा देने और तेलगांव रोड से कंकालेश्वर मंदिर तक नाले के किनारे सुरक्षा दीवार खड़ी करने की मांग की। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी विवेक जॉन्सन, उपविभागीय अधिकारी कविता जाधव, तहसीलदार चंद्रकांत शेलके, मुख्याधिकारी शैलेश फडसे, नायब तहसीलदार सुहास हजारे सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। इसके बाद तहसीलदार चंद्रकांत शेलके ने चांदनी चौक का दौरा कर खतरनाक स्थानों पर खड़े होकर बाढ़ का नजारा लेने वाली भीड़ को चेतावनी दी और पुलिस प्रशासन को भी निर्देश दिए। उन्होंने भीड़ को सख्त हिदायत दी कि बाढ़ग्रस्त जगह पर कोई भी न रुके।

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com